भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2794

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026/ 26 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

अघोषित अपतटीय संपत्तियों पर कर लगाना

2794. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सीबीडीटी विदेशों में पनाहगाहों में रखी गई 14,601 करोड़ रुपये की अघोषित अपतटीय संपत्तियों को कर के दायरे में लाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक विदेशी खातों में जमा और भारत वापस लाए गए काले धन का देश-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) चालू वर्ष के दौरान कर पनाहगाहों में जमा काले धन में वृद्धि/कमी का देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) दिनांक 31.01.2026 तक, पनामा, पैराडाइज़ और पंडोरा पेपर लीक के मामलों में चिह्नित कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 के तहत कुल 14636 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी आय और संपत्ति का कर निर्धारण किया गया है। इस प्रकार मूल्यांकित अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कई कर क्षेत्राधिकारों में मौजूद हैं, जिनका विवरण क्षेत्राधिकार के अनुसार नहीं रखा जाता है।

(ग) काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 के तहत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (30.09.2025 तक) के दौरान मूल्यांकित अघोषित विदेशी आय और संपत्ति पर लगाए गए कर का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**लगाए गए कर की राशि (करोड़ रूपये में)**
2023-24	949.51
2024-25	4,556.64
2025-26 (30.09.2025 तक)	3,454.59

उपरोक्त विवरण का अनुरक्षण क्षेत्राधिकार के अनुसार नहीं रखा जाता है।

(घ) अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों में वर्षवार वृद्धि या कमी का विवरण उपलब्ध नहीं है। हालांकि, अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होने पर, आयकर रिटर्न (आईटीआर) की अनुसूची एफए/एफएसआई में दर्शाई गई आय/परिसंपत्तियों के साथ उसका सत्यापन किया जाता है और आयकर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों, जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 शामिल हैं, के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

इन कार्रवाइयों में, अन्य बातों के अलावा, आयकर विभाग द्वारा नवंबर 2024 और नवंबर 2025 में विदेशी आय और परिसंपत्तियों की घोषणा में करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया नज़ (NUDGE) (मार्गदर्शन और सक्षमता के लिए आंकड़ों का हस्तक्षेप-रहित उपयोग) अभियान शामिल है। इस अभियान के तहत, चयनित निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए, जिनके संबंध में नवंबर 2024 के अभियान के दौरान, 19,501 चयनित करदाताओं को सूचित किया गया था, जिनके पास विदेशी परिसंपत्तियां होने की सूचना थी, लेकिन उन्होंने संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था, जिनमें से 12,046 ने प्रत्युत्तर दिया और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किए। अभियान के दौरान, कुल 30,161 करदाताओं ने अनुसूची एफए भरी और 29,208 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय की जानकारी दी। नवंबर 2025 के अभियान के दौरान, 20,449 चयनित करदाताओं को, जिनके पास विदेशी संपत्ति होने की सूचना थी लेकिन उन्होंने संबंधित निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था, इस बारे में नज़ के तहत याद दिलाया गया, जिनमें से 13,194 ने जवाब दिया और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किए। अभियान के दौरान, कुल 1,57,112 करदाताओं ने अनुसूची एफए भरी, जिसमें 99,882 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्ति और 6,540 करोड़ रुपये की विदेशी आय की जानकारी दी गई।

*****